

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के
परिणाम की घोषणा

61 चित्रकूट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री

नीलांशु चतुर्वेदी

राजमहल नयागांव, वार्ड नं.-6 चित्रकूट जिला-सतना (म0प्र0)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं। उस सदन में श्री प्रेम सिंह की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान - सतना

दिनांक- 12/11/2017

(ए0पी0 द्विवेदी)

रिटर्निंग आफिसर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 61 चित्रकूट
जिला-सतना (म0प्र0)